(आदेश की प्रतिलिपि)

न्यायालय– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

(पीठासीन न्यायाधीश–निधि शर्मा तिवारी)

जमानत याचिका क्र– 1077/2024

अपराध क्रमांक–183/2024

थाना–गोबरा नवापारा, रायपुर छ.ग.

राधेश्याम साहू, उम्र–46 वर्ष,
पिता–श्री भक्तू साहू,
निवासी–ग्राम–सेमरा, थाना गोबरा–
नवापारा, तहसील अभनपुर,
जिला – रायपुर (छ.ग.) --- आवेदक/अभियुक्त

// विरूद्ध //

छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा– थाना–गोबरा नवापारा,
जिला– रायपुर (छ.ग.) --- अनावेदक/अभियोजन

पुनश्च (19/04/2024)

माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर से यह जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. विधिवत् निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री महेन्द्र प्रसाद शुक्ला , अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री विजय कुमार लांजे, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना–गोबरा नवापारा, रायपुर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक–183/24 अंतर्गत धारा– 294, 506, 186, 353, 332, 34 भा.दं.सं. की केस डायरी प्राप्त।

अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र पर उभय पक्षों के तर्क सुने गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** अग्रिम जमानत आवेदन के तर्क में यह निवेदन किया गया है कि आवेदक /अभियुक्त निर्दोष है, उसके विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 186, 294, 332, 353, 34, 506 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्ध की गयी है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में

अभियोजित धाराओं के आवश्यक तत्व कथित अपराध में नहीं है थाना गोबरा नवापारा, चौकी चम्पारण पुलिस द्वारा अपराध के तथ्यों को अनदेखा करते हुए उपरोक्त अजमानतीय प्रकृति की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कथित अपराध में किसी भी प्रकार की उपेक्षा या लापरवाही की गयी हो ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक राधेश्याम साहू की दुर्घटना पश्चात पीड़त को सहयोग प्रदान करने के बजाए पुलिस द्वारा आरोपी बना दिया गया। आवेदक रायपुर जिले का स्थायी निवासी है। आवेदक संभ्रात परिवार का सदस्य है। आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो के पालन हेतु तत्पर है। अतः उसे अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जावे। आवेदक की ओर अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है।

अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी रामरतन साहू प्रधान आरक्षक 919 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 08/04/2024 को पैदल पेट्रोलिंग व मंदिर व्यवस्था ड्यूटी में हमराह आरक्षक हुलास साहू के साथ चंपारण रवाना हुए थे कि मोबाईल से गणपत साहू द्वारा एक्सीडेंट होने की सूचना पर हमराह आरक्षक नवीन निर्मलकर, हुलास साहू शासकीय वाहन बोलेरो क्रमांक CG–03–6676 से रात्रि लगभग 08:30 बजे ग्राम सेमरा पहुंचे। सूचक ने बताया कि आहत राधेश्याम साहू को एक हाईवा वाहन एक्सीडेंट कर भाग गया है। राधेश्याम साहू के मस्तक में चोट लगा है। आहत को मुलाहिजा हेतु अस्पताल ले जाने के लिए पेट्रोलिंग वाहन में

बैठाये। तभी एनु साहू व गणपत साहू आक्रोशित होकर बोले कि तुम पुलिस वाले लोग आरोपी को पकड़े नहीं हो और इसका ईलाज कराने ले जा रहे हो। हम लोग ईलाज कराने नहीं देंगे जब तक आरोपी को नहीं पकड़ोगे। आहत राधेश्याम को जबरदस्ती उतारने लगे जिसे ईलाज हेतु ले जाना बताने पर भी नहीं माने और एनु साहू, गणपत साहू एवं गांव के अन्य लोग एक राय होकर प्रार्थी तथा उसके हमराह पुलिस स्टॉफ को अश्लील गाली–गलौज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए प्रार्थी का कालर पकड़ कर हाथ मुक्का से मारपीट कर जाने से मारने की धमकी दिये है। धक्का देने से प्रार्थी रामरतन साहू जमीन पर गिर गया एवं मारपीट से उसके बांये गाल एवं बांये हाथ के मध्य उंगली में चोट लगा है। वर्दी के शर्ट के दो बटन व बिसिल कार्ड टूट गया है। आरक्षक नवीन व हुलासा साहू बीच–बचाव करने लगे, तो उन्हें भी एनु साहू, गणपत साहू, राधेश्याम साहू एवं अन्य के द्वारा अश्लील गाली–गलौज कर धक्का मुक्की किये है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मारपीट के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी।

केस डायरी में उपलब्ध समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु यह उचित मामला होना प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन अस्वीकार कर एतदद्वारा निरस्त किया जाता हैं।

आदेश की प्रति पालनार्थ थाना प्रभारी गोबरा नवापारा , रायपुर की ओर केस डायरी सहित भेजी जाये।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

NIDHI SHARMA TIWARI

Digitally signed by NIDHI SHARMA TIWARI

(निधि शर्मा तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)